एक माह के भीतर विधि आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने कहा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भारत के विधि आयोग को एक सांविधिक निकाय घोषित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर एक माह के भीतर विधि आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह विधि आयोग को संवैधानिक संस्था घोषित करे और महीने भर के भीतर इसके अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त करें। भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत के विधि आयोग को भी याचिका में पक्षकार बनाया है। उपाध्याय की याचिका पर देश के प्रधान न्यायाधीश एस एस बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय से एक माह के भीतर विधि आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।याचिका में कहा कि ३१ अगस्त, २०१८ को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था और यह अभी भी बना हुआ है क्योंकि तब २१वें विधि आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया था लेकिन केंद्र ने न तो इसके अध्यक्ष और न ही सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया और न ही २२वें विधि आयोग को अधिसूचित किया। इसमें कहा गया कि १९ फरवरी २०२० को केंद्र ने २२वें विधि आयोग के संविधान को मंजूरी दी, लेकिन आज तक इसके अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त नहीं किए गए। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र को विधि आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने के अलावा शीर्ष अदालत से इस दिशा में स्वयं भी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया।इस याचिका पर न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

कोरोना काल में भारत में ३५ फीसदी बढ़ी अरबपतियों की संपत्ति, तेजी से बढ़ी अमीर-गरीब के बीच की खाई

नई दिल्ली (ईएमएस)। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में ३५ प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान देश के ८४ फीसदी घरों को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा है। वहीं, अकेले अप्रैल, २०२० में हर घंटे १.७ लाख लोगों की नौकरी जा रही थी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट 'इनइक्वालिटी वायरस' में कहा गया है कि मार्च २०२० के बाद से भारत के १०० अरबपतियों की संपत्ति में १२,९७,८२२ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

इस राशि का वितरण यदि देश के १३.८ करोड़ सबसे गरीब लोगों में किया जाए, तो इनमें से प्रत्येक को ९४,०४५ रुपए दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में असमानता तेजी से बढ़ी है। महामारी के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एक घंटे में जितनी संपत्ति बनाई, उतना कमाने में भारत के एक अकुशल कामगार को १०,००० साल लग जाएंगे, वहीं एक सेकेंड में उन्होंने जितना कमाया, उतना कमाने में तीन साल लगेंगे। पिछले साल अगस्त महीने में मुकेश अंबानी को दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी पिछले १०० सालों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है और इसके चलते १९३० की महामंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ। ऑक्सफैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर ने कहा इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से कैसे सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरान सबसे धनी लोगों ने बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि करोड़ों लोग बेहद मुश्किल से गुजर-बसर कर रहे हैं।

बांबे हाईकोर्ट ने खारिज की यस बैंक घोटाले के आरोपी राणा कपूर की जमानत याचिका

मुंबई (ईएमएस)। यस बैंक के ३७०० करोड़ रुपए के कथित घोटाले मामले में आरोपी राणा कपूर की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में कुछ महीने पहले राणा की बेटी रोशनी कपूर को जमानत मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक अपनी बीमारी का हवाला देते हुए यस बैंक घोटाले के आरोपी राणा कपूर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी। उल्लेखीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अन्य लोगों की लगभग २८०० करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की थीं। इनमें कुछ विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं। राणा कपूर का लंदन व न्यूयॉर्क का फ्लैट भी अटैच किया गया था। उल्लेखनीय है कि यस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि (डीएचएफएल) को ३७०० करोड़ रुपए का लोन दिया था। जिसके बाद डीएचएफएल ने डू इट अर्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ६०० करोड़ लोन दिया था। यह कंपनी राणा कपूर की बेटियों रोशनी और राधा के नाम पर हैं और वे १०० फीसदी मालकिन हैं। राणा कपूर की तीसरी बेटी लंदन में रहती हैं। बता दें कि ईडी राणा कपूर के घर डूइट अर्बन वेंचर्स प्रा लि ऑफिस पर छापेमारी भी कर चुकी है। आरोप है कि यस बैंक ने पहले नियम को ताक पर रखकर डीएचएफएल को लोन दिया और फिर उसके बदले उन्हें फायदे के तौर पर ६०० करोड़ रुपए मिले। इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने पिछले दिनों राणा कपूर और उनके परिवार पर आरोप लगाया था कि उन्हें कंपनियों के जरिए ४,३०० करोड़ रुपए का लाभ मिला है। इसके बदले में राणा कपूर के कार्यकाल में यस बैंक से बड़े स्तर पर इन कंपनियों को लोन जारी किया गया है।

देश के ९ राज्यों में बर्ड फ्लू की वर्तमान स्थिति

नई दिल्ली (ईएमएस)। २४ जनवरी तक ९ राज्यों (केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब) में पोल्ट्री (कुक्कुट) पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंज़ा (बर्ड फ़्लू) की पुष्टि हुई है। जबकि १२ राज्यों (मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचलप्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू औरकश्मीर तथा पंजाब) में कौव्वे, प्रवासी पक्षियों और जंगली पक्षियों में इससंक्रमण के प्रकोप की पुष्टि की गई है। एवियनइन्फ्लुएंज़ा का संक्रमण महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के सावरगढ़ और उजोनादारव्हा से मिले पोल्ट्री के नमूनों में पाया गया है। इसके अलावा बर्ड फ्लूसंक्रमण की पुष्टि जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्राप्तकौव्वे के नमूने में भी की गई है। हालांकि, उत्तराखंड के टिहरी और पौखाल वन रेंज से जमा किए गए कबूतर तथा लालतूती (रोज फिंच) के नमूनों से एवियन इन्फ्लुएंज़ा की पुष्टि नहीं हुई है और येनमूने जांच में नकारात्मक आए हैं। पोस्टऑपरेशन सर्विलांस प्लान (पीओएसपी) केरल के १ प्रभावित केंद्र, मध्य प्रदेशमें संक्रमण से प्रभावित हुए ३ केंद्र तथा महाराष्ट्र के ५ ऐसे केंद्रोंके लिए जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड के शेष प्रभावितइलाकों में नियंत्रण एवं निस्तारीकरण कार्य (सफाई तथा कीटाणुशोधन) चल रहा है। उन किसानों औरपशुपालकों को मुआवज़ा दिया जाता है, जिनके पोल्ट्री (कुक्कुट) पक्षियों, अंडों और पोल्ट्री चारा को राज्य की विशेष कार्य योजना के अनुसार निपटाया / निस्तारित किया जाता है।भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) अपनी पशुधन स्वास्थ्य औररोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों कोसहायता - एएससीएडी के तहत ५०:५० प्रतिशत सहयोग के आधार पर राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता राशि उपलब्ध कराता है। एवियन इन्फ्लुएंज़ा २०२१ से निपटने की तैयारी, नियंत्रण और निस्तारीकरण के लिएसंशोधित कार्य योजना के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वाराअपनाए गए नियंत्रण उपायों के बारे में सभी राज्य दैनिक आधार पर विभाग कोरिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। विभाग ट्विटर और फेसबुक हैंडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एवियनइन्फ्लुएंज़ा के बारे में लगातार प्रयास कर रहा है।

जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे बहुत से कार्य प्रबुद्ध नहीं होते: निदेशक नियोगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे बहुत से कार्य प्रबुद्ध नहीं होते। एक शिशु ऐसी चीज में लिप्त हो सकता है जिसके बारे में शायद उसकी समझ नहीं है। लेकिन बाद के वर्षों में वह इससे अर्थ प्राप्त कर सकता है। निदेशक अश्मिता गुहा नियोगी ने कहा कि वह अपनी आईएफएफआई ५१ भारतीय पैनोरमा गैर फीचर फिल्मी'कैटडॉग'में इस विचार की खोच करती है। यह फिल्म शनिवार (२३ जनवरी, २०२१) को गोवा में ५१वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) में दिखाई गई है। गुहा नियोगी ने आज गोवा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा किशोरावस्था की अवधि वह होती है जब 'एक ऐसी दुनिया होती है जिसे आप जानते हैं और एक ऐसी दुनिया होती है जिसे आप नहीं जानते। यह हमारे जीवन की वह अवधि होती है जब ज्ञात और अज्ञात टकराते हैं। हमारी फिल्म एक सहोदर रिश्ते के माध्यम से इसकी खोच करती है।'

एक भाई और एक बहन अपनी शिक्षिका मां, जिसके पास उनके लिए कोई समय नहीं है, की नजरों से दूर छिपकर अपनी ही बनाई एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे का साथ बनाए रखते हैं जब वे किशोरावस्था-पूर्व उतार चढ़ावों तथा घर पर बदलती स्थितियों से जूझते हैं। यह प्रदर्शित करती है कि किस तरह ये सहोदर भाई-बहन अपने आस-पास की स्थितियों तथा उनके बीच हो रहे बदलावों के दौरान प्रयास करते हैं और उनका अर्थ निकालते हैं। जब अंततोगत्वा उनकी मां को उनकी दुनिया की एक झलक मिलती है तो उनकी दुनिया ढहने के कगार पर आ जाती है। वे दोनों या तो समर्पण कर सकते हैं या प्रतिरोध कर सकते हैं। गुहा नियोगी ने कहा, 'उस क्षण मैं ये सोच रही थी कि समाज के नियमों के साथ बड़े होने का क्या अर्थ हो सकता है। किसी समाज और परिवार में सभी भूमिकाएं निर्धारित होती हैं। मैं सोच रही थी कि क्या हो अगर मैं एक ऐसे स्थान का सृजन करूं जहां इनमें से किसी परिभाषा या नियम का वजूद न हो ? आप लोगों की पहचान उनकी यौनिक पहचान के माध्यम से करते हैं। एक भाई और एक बहन का संबंध मेरे लिए समाज द्वारा थोपे गए नियमों को तोड़ने के इस विचार पर काम करने का एक सटीक माध्यम बन गया।

देश की पहली स्पोर्ट्स कार डीसी अवंति बनी अपने निर्माता के जेल जाने का कारण

मुंबई (ईएमएस)। देश के पहले बेहतरीन कार निर्माता दिलीप छाबड़िया ने ऊंची छलांग लगाने भारत की पहली रियल स्पोर्ट्स कार डीसी अवंति का ?निर्माण ?किया था। हालांकि यही स्पोर्ट्स कार अब छाबड़िया के जेल जाने का कारण बना। डीसी डिजाइन कंपनी के संस्थापक छाबड़िया को मुंबई पुलिस ने कार खरीदारों तथा कर्ज प्रदान करने वालों को धोखा देने के आरोप में २८ दिसंबर, २०२० को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह भारत में वाहनों के डिजाइन में बदलाव का १९९० के दशक की शुरुआत से प्रतिनिधित्व करते आ रहे छाबड़िया को अब जेल में दिन काटने पड़ रहे हैं। छाबड़िया को बड़ा झटका तब लगा, जब डीसी अवंति के तमिलनाडु के एक ग्राहक ने अपनी कार पहले से ही हरियाणा के एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत पाए जाने की शिकायत की। इससे पहले हास्य कलाकार कपिल शर्मा ने काफी समय पहले एक वैनिटी वैन के लिए पूरा भुगतान कर देने के बाद भी डिलिवरी नहीं किए जाने को लेकर छाबड़िया के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मिलिंद भारामबे के अनुसार पुलिस ने पाया है कि एक ही कार पर कई बार ऋण लिया गया है। लगभग ९० डीसी अवंति कारों का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिये किया गया है और इस तरह लगभग १०० करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। पुलिस ने यह भी पाया है कि इन ९० वाहनों में से अधिकांश विभिन्न राज्यों में दो या तीन आरटीओ में पंजीकृत थे। उल्लेखनीय है कि पहली इंडियन स्पोर्ट्स कार के रूप में प्रचलित डीसी अवंति का अनावरण अमिताभ बच्चन ने २०१२ ऑटो एक्सपो में नयी दिल्ली में किया था। यह कार २०१५ से भारतीय सड़कों पर उतरने लगी।

देश के भविष्य को आकार देने के लिए प्रत्येक चीज पर ध्यान रखना है: वैज्ञानिक सलाहकार विजयराघवन

नई दिल्ली (ईएमएस)। ५वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषण नीति के मसौदे को सुदृढ़ करने के द्वारा विचारों को समृद्ध बनाने के लिए एक प्रारूप-पश्चात परामर्श प्रक्रिया आरंभ हुई जिसमें कुछ शीर्ष विशेषज्ञों तथा विभिन्न विषयों के विचारकों ने भाग लिया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजयराघवन ने २३ जनवरी, २०२१ वेबिनार के माध्यम से आयोजित परामर्श में कहा ''पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी में बेशुमार बदलाव के साथ डिजिटल क्रांति हुई है। इस परिवर्तन का कारण बताते हुए, हमें संस्कृति की मजबूत जड़ों से जुड़े रहने की आवश्यकता है। इस दिशा में एक कदम भाषा प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण है। इसके अतिरिक्त, बड़े स्तर पर अध्ययन के लिए एसटीआई हेतु व्यावहारिक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इस नीतिगत दस्तावेज का उद्देश्य देश के भविष्य को आकार देने के लिए प्रत्येक चीज पर ध्यान रखना है। उन्होंने अंतिम दस्तावेज़ में नीति प्रक्रिया संरचना दस्तावेज़ और कार्यान्वयन रणनीति सन्निहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, 'भविष्य के लिए तैयार होने के लिए राज्यों को केन्द्र के साथ जुड़ने तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेषण का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव तथा वैज्ञानिक कूटनीति पर भी समान रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा कि भारत में ठहम सृजित ज्ञान पर फोकस करते हैं, लेकिन हमें नवोन्मेषण लाने के लिए उन्हें समुचित रूप से काम में लाना-नवोन्मेषण को ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। डीएसटी के सलाहकार तथा एसटीआईपी सचिवालय के प्रमुख डॉ. अखिलेश गुप्ता ने कहा कि ''परामर्श के ३०० दौर हो चुके हैं। पहली बार, हमने राज्यों, संबंधित मंत्रालयों और भारतीय प्रवासियों से परामर्श किया है। इस प्रकार के परामर्श दस्तावेज को और अधिक समावेशी बनाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व सदस्य, महासागर विकास विभाग के सचिव और दुनिया के विख्यात भूकंप विज्ञानी डॉ. हर्ष गुप्ता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने हेतु श्रमबल और वित्तीय योजना के लिए समयबद्धता के साथ एक रूपरेखा और कार्यान्वयन तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। अमेरिका में हार्वर्ड केनेडी स्कूल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन विशेषज्ञ प्रो शीला जैसनॉफ ने कहा कि किसी भी देश में सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा नीति शास्त्र की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है और नीति को इसे परिलक्षित करना चाहिए। राज्यसभा के पूर्व महासचिव और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण ने पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

समुद्र के नीचे सुरंग बनाने ७ भारतीय कंपनियों ने रुचि दिखाई

नई दिल्ली (ईएमएस)। सात भारतीय कंपनियों ने प्री-बिडिंग स्टेज में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए समुद्र के नीचे सुरंग बनाने में रुचि दिखाई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसअरसीएल) के एक अधिकारी ने बताया कि समुद्र के नीचे सुरंग को बनाने के लिए सात भारतीय कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया। सुरंग के निर्माण के लिए निविदा मंगाई गई है और १९ फरवरी, २०२१ तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना में महाराष्ट्र में बीकेसी से कल्याण शिल्पाता तक २१ किमी लंबा अंडरग्राउंड कॉरिडोर होगा। अधिकारी ने कहा कि इस अंडरग्राउंड कॉरिडोर का लगभग ७ किमी हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे है। इसमें से १.८ किमी लंबे खंड को समुद्र के तल के नीचे विकसित किया जाना है, जबकि बाकी हिस्से को क्रीक के दोनों ओर मैंग्रोव मार्शलैंड पर बनाया जाना है। अधिकारी ने कहा कि ठेका सुरंग के लिए है, जिसमें परीक्षण के साथ-साथ टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) और एक नए ऑस्ट्रियाई टनलिंग विधि (एनएटीएम) का उपयोग कर परियोजना के लिए डबल-लाइन हाई स्पीड रेलवे का निर्माण शामिल है।

एनएचएसआरसीएल, राइट्स और जापान की कावासाकी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग फर्म की एक टीम ने समुद्र के नीचे सुरंग बनाने के लिए भू-तकनीकी जांच की थी। समुद्र तल की संरचना का अध्ययन करने के लिए, टीम ने एक स्थैतिक अपवर्तन तकनीक (एसआरटी) सर्वेक्षण किया था, जिसमें पानी की सतह के नीचे से सीबेड की ओर एक उच्च ऊर्जा ध्वनि तरंग की फायरिंग शामिल है। फिर समुद्र के नीचे चट्टान का घनत्व निर्धारित करने के लिए अपर्वर्तित ध्वनि तरंग का मानचित्रण किया गया। टीम ने एनएचएसआरसीएल के साथ एक रिपोर्ट भी दी है। पिछले साल, एनएचएसआरसीएल ने ६४ प्रतिशत एमएएचएसआर संरेखण के निर्माण के लिए कांट्रैक्ट दिए, जिसमें वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, आणंद/नादियाड में पांच एचएसआर स्टेशन, सूरत में ट्रेन डिपो और ३५० मीटर की एक पर्वत सुरंग का निर्माण शामिल है।

एमपी को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ६६० करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी मिलेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। मध्यप्रदेश विभिन्न नागरिक केंद्रित सुधारों को सफलतापूर्वक लागू कर, पूंजीगत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी पाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसके तहत राज्य को पूंजीगत खर्च के लिए ६६० करोड़ रुपये आवंटित किया है। इस राशि को राज्य वन नेशन, वन राशन कार्ड सुधार, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार (बिजनेस करना आसान), और शहरी निकाय सुधार को पूरा करने के मद में खर्च करेगा। इसके अलावा राज्य ने चौथे प्रमुख सुधार - पावर सेक्टर (बिजली क्षेत्र) में सुधार का भी एक अहम हिस्सा पूरा कर लिया है। व्यय विभाग द्वारा ६६० करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पूंजीगत परियोजनाओं की एक सूची को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत पहली किस्त के रूप में ५० फीसदी राशि (३३० करोड़ रुपये)अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्य को जारी भी कर दी गई है। जारी की गई ६६० करोड़ रुपये की राशि, योजना के भाग-२ के तहत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए पहले जारी की गई ६६० करोड़ रुपये की राशि से अतिरिक्त राशि है।

वित्तमंत्री ने ठआत्मनिर्भर भारत पैकेजठ के तहत १२ अक्टूबर, २०२० को ठपूंजीगत व्यय के लिए राज्यों की विशेष सहायताठ योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य इस साल कोविड-१९ महामारी की वजह से, राजस्व में आई कमी की वजह से वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहे राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पूंजीगत खर्च का कई स्तरों पर पर असर होता है। जिसका फायदा ऊंजी आर्थिक विकास दर के रुप में दिखता है। इसलिए, केंद्र सरकार ने प्रतिकूल वित्तीय परिस्थिति के बावजूद, वित्त वर्ष २०२०-२१ में पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकारों को विशेष सहायता देने का निर्णय लिया था। इस योजना को राज्य सरकारों की तरह से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अब तक २७ राज्यों के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों के लिए १०,६५७ करोड़ रुपये की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में राज्यों को ५,३२८ करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। राज्यवार आवंटन, दी गई मंजूरी और जारी की गई राशि की जानकारी संलग्न हैं। अभी तक तमिलनाडु ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। इसके तहत स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

लालू को डॉक्टरी देखभाल की जरूरत: तेजस्वी यादव

नई दिल्ली (ईएमएस)। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। लालू को सांस लेने दिक्कत हो रही है, उनकी किडनी भी कम ही काम कर रही है। इस बीच राजद के नेता और कार्यकर्ता लालू प्रसाद का हाल जानने के लिए दिल्ली के एम्स में जुटने लगे हैं। इससे अस्पताल में गैर जरूरी भीड़ जुटने लगी है। इन स्थितियों को देखते हुए आज लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से गुजारिश की है कि वे एम्स में भीड़ न लगाएं, बल्कि वे जहां भी हैं। वहीं से उनके पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें।

ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସୋହେଲା, ଜି. ବରଗଡ
[illegible]
[illegible] OMMC Rules-2016 [illegible] OMMC Rules-2016 [illegible] (Form-M) [illegible] Speed Post/ Regd. Post [illegible] Website (www.bargarh.nic.in) [illegible]
ସ୍ୱା/-ତହସିଲଦାର, ସୋହେଲା

ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା, ପୁରୀ
ସଂଖ୍ୟା: ୫୩୨ ତାରିଖ: ୨୫।୦୧।୨୧
(ୱାଟର ପ୍ଲସ୍ ହେତୁ ଘୋଷଣା ପତ୍ର)

ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ୨୦୨୦–୨୧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ୩୨ଟି ୱାର୍ଡକୁ ୱାଟର ପ୍ଲସ୍ (Water +) ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ସଂସ୍ଥାର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି/ଅଭିଯୋଗ/ମତାମତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶର ତିଥିରୁ ୧୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଲିଖିତ ରୂପରେ ନିଜର ଆପତ୍ତି/ଅଭିଯୋଗ/ମତାମତ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବାର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୧୫ଦିନର ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି/ଅଭିଯୋଗ/ମତାମତ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ।
ଏଣୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ୱାଟର ପ୍ଲସ୍ (Water +) ପାହ୍ୟା ସହରରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା।

ସ୍ୱା./– ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା, ପୁରୀ

ODISHA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Plot No. 4, Chunukoli, Saileshree Vihar, Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751021,
E-mail : orierc@rediffmail.com, Website : www.orierc.org

PUBLIC NOTICE
Case No. 71 of 2020

Hearing of OPGC's application for Approval of Generation Tariff for the FY 2021-22 in terms of Section 62 & 86 of the Electricity Act, 2003 read with OERC (Terms & Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulation, 2014 and OERC (Conduct of Business) Regulation, 2004.

Pursuant to the Public Notice published in the English and Odia dailies by OPGC on 19.12.2020 with regard to its Generation Tariff for the Financial Year 2021-22, it is notified that the aforesaid application will be taken up for both admission and hearing on **05.02.2021 at 03.00 P.M in the Hearing Hall of the Commission's Office at Plot NO. 4, Chunokoli, Sailashree Vihar, Bhubaneswar-751021.** The objections/suggestions filed by the Organization/Persons against the above stated application of OPGC whose name appear in this notice have been admited by the Commission for participating in the hearing.

Both the applicant (OPGC) and the Organizations/Persons whose objections/ suggestions are admited by the Commission for hearing are hereby directed to be present in person or through their authorized representatives or duly constituted attorney before the Commission on the date, time & place mentioned above. The Commission has also decided that in case COVID situation persists and Hon'ble High Court of Orissa continues virtual hearing in the month of February, 2021 then the present application of OPGC Ltd. shall be heard through virtual mode and for this purpose the applicant and the objectors shall have to furnish their individual e-mail ID and Whatsapp number in the address oerc.vc@gmail.com on the previous day of hearing to facilitate providing links for hearing.

By Order of the Commission
Dated 25.01.2021 Sd/-
SECRETARY

N.B.: The above public notice with list of Organizations/Persons whose objections/suggestions have been admitted by the Commission for hearing is also available in OERC website www.orierc.org.

OPGC
1. Sri Ananda Kumar Mohapatra, Power Analyst, S/o-Jachindranath Mohapatra, Plot No. 639/1021, Lane-2, Laxmi Vihar, Po-Bankual, Tankapani Road, Ps-Saheed Nagar, Bhubaneswar, Dist-Khurda-751002.
2. Shri Ramesh Ch. Satpathy, Secretary, National Institute of Indian Labour & President,Upobhokta Mahasangha, Plot No.302(B), Beherasahi, Nayapalli, Bhubaneswar-751012.
3. Shri R.P.Mahapatra, Retd. Chief Engineer & Member (Gen.) erstwhile OSEB, Plot No-775 (P), Lane-3, Jayadev Vihar, Bhubaneswar-751013.
4. GRIDCO Limited, Janapath, Bhubaneswar-22